

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
(Headquarters)

Ref: DDGA/SOM(23)

28 Jan 2020

Sub: Directions of DG regarding D.O. letters and routing of proposals for financial approval

This is with reference to circular of even number dated 21 Jan 2020 on the above subject. It has now been decided that SI No. 3 of the said circular is substituted with the followings:

- 3) The proposals requiring the approval of DG:BIS, involving expenditure from BIS funds, shall henceforth be routed through Finance Department.

Other contents of the circular shall remain the same.

This issues with the approval of DG: BIS.


(Roma Roy)
Deputy Director General(Admn.)

Circulated to all departments at HQs/ROs/BOs/Labs including NITS through BIS Intranet

भारतीय मानक ब्यूरो
(मुख्यालय)

संदर्भ: डीडीजीए/एसओएम/(23)

28 जनवरी 2020


विषय: अर्ध-सरकारी पत्र और वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजने के संबंध में महानिदेशक महोदय के निदेश

यह उपर्युक्त विषय परदिनांक 21 जनवरी 2020 के समसंख्यक परिपत्र के संदर्भ में है। अब यह निर्णय लिया गया है कि उक्त परिपत्र की क्रम संख्या 3 के निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है:

- 3) बीआईएस निधि से व्यय से संबद्ध प्रस्ताव, जिनमें महानिदेशक, बीआईएस का अनुमोदन अपेक्षित है, अब से वित्त विभाग के माध्यम से भेजे जाएंगे।

परिपत्र की अन्य बातें यथावत् रहेंगी।

इसे महानिदेशक, बीआईएस के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(रोमा रॉय)
उपमहानिदेशक (प्रशासन)

बीआईएस इंटरनेट के माध्यम से एन आई टी एस सहित मुख्यालय/क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों/प्रयोगशालाओं को परिचालित